

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक, गुरुग्राम  
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057

क्रमांक: 1494-5  
प्रेषित:-

दिनांक: 18/08/2021

Executive Engineer,  
Public Health Engineering Division, Gurugram,  
New Colony, Gurugram

विषय: Diversion of 0.8066 hac. of forest land for laying of water pipeline for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli to Tajnagar, Faridpur to Dhani Ahiran via Karola, & Farrukhnagar road to Garhi Nathe Khan, under Forest Division & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Water/144418/2021)

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 8353 दिनांक 22.07.2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी द्वारा आपके कार्यालय प्रतिनिधि श्री अनिल सैनी junior engineer के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन द्वारा बताया गया कि प्रभावित क्षेत्र में आने वाले बाधक वृक्षों की सही स्थिति स्पष्ट करने के लिए 10 से 12 दिन का समय चाहिए तदोपरांत ही वह पुनः निरीक्षण करवायेगें।

अतः आपको लिखा जाता है आप शीघ्र ही मौका निरीक्षण करवायें ताकि आपके प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

16/08/21  
उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।  
16/8/2021

पू0 क्रमांक 1495-97-5  
एक प्रति:-

दिनांक 18/08/2021, 16/8

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) हरियाणा, पंचकूला को,
2. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम,
3. वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को उनके पत्र क्रमांक 228 एच दिनांक 11.08.2021 के सन्दर्भ में, को सूचनार्थ प्रेषित है।

16/08/21  
उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।  
16/8/2021